(115)

222

निग0 - 3790/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री भद्रिका प्रसाद गौतम उम्र 50 वर्ष निवासी छिजवार तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ———— निगरानीकर्ता

बनाम

रामकिशोर तनय रामनाराण कुशवाहा उम्र 51 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम छिजवार जिला रीवा म0प्र0 ————गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री सूर्यनाथ पाण्डेय द्वारा पेश 22.6.18

निगरानी विरूद्व आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त बनकुइयां के प्र0क0 77अ12/15—16 आदेश दिनांक 19—04—16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959 ई 0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :—

निगरानीकर्ता ने ग्राम छिजवार की आराजी नं0 162/1 रकवा 0.097 हे0, व आराजी नं0 163 /2 रकवा 0.065 हे0 कुल किता 2 जुमला रकवा 0.162 हे0 को विक्रेता राम प्रसाद कुशवाहा तनय लल्ला राम कुशवाहा निवासी छिजवार से दिनांक 21—05—2007 को क्रय किया और क्रय दिनांक से ही उक्त भूमि पर आवेदक को कब्जा दखल भी विक्रेता द्वारा दे दिया गया। और निगरानी कर्ता का भी नामान्तरण भी हो गया जब आवेदक/ निगरानीकर्ता के द्वारा क्रय सुदा भूमि का नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र जब नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइया के न्यायालय में प्रस्तुत किया तो तब गैर निगरानी कर्ता के द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में नक्शा तरमीम के आवेदन पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वगैर जांच किये निगरानीकर्ता का नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि कथित भूमि का नक्शा तरमीम पूर्व में किया जा चुका है। जिसके संबंध में निगरानीकर्ता के द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक 14—09—2015 को नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइयां

(115)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 3790 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला–रीवा

सुमन देवी / रामकिशोर कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बनकुइयां, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 77 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	